न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2014/00068**
दायरा तिथि : 21.08.2014
निर्णय तिथि :14-11-2025

वादीगण :–

1–गणपतसिंह पुत्र दलपत सिंह के कायम मुकाम
1 – गोपालसहि पुत्र गणपतसिंहजी उम्र बालिग
2 – मदनसिह पुत्र गणपतसिंह उम्र बालिग
3– उत्तमसिंह पुत्र गणपतसिंह आयु बालिग
4– भरतसिंह पुत्र गणपतसिंह जी आयु बालिग जातिगण राजपुत निवासीगण बोया तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–किशनसिंह पुत्र गणपतसिंह के कायम मुकाम
1/1–जसवतसंह पुत्र किशनसिंह आयु बालिग
1/2 – भवानीसिह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/3 – परबतसिंह पुत्र किशनसिंह आयु बालिग
1/4– खुमानसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/5 – श्रवणसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/6 – विक्रमसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/7 – विनोदकुवर पुत्री किशनसिंह आयु बालिग
1/8– रामुकुवर पत्नि स्व. किशनसिंह आयु बालिग
2– स्व0 भीमसिंह उर्फ भोमसिंह के कायम मुकाम
2/1– ईश्वरसिंह पुत्र भीमसिंह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/2– विरेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/3– पुष्करकुवर पुत्री भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/4– अन्तरकुवर पत्नि स्व. भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
3– मोहनसिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
4– करणसिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
5– बाबुसिह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
6– गोविन्द सिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बाली जिला पाली
7– तहसीलदार भुमिधारी बाली।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार.....02

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत धनेरा .....अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री भंवरलाल वैष्णव ..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 06
3. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 14/11/2025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर ग्राम बोया तहसील में स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा के भू0भाग से बने हाल खसरा नंबर 249 रकबस 2.30 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि सरहद मौजा बोया तहसील बाली के पुराने खसरा नंबर 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि सवत 2009 के पूर्व से

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के दादा दलपतसहि के कब्जे कास्त की रही हैं। दलपतसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भुमि वादीगण के पिता तथा अन्य भाईयो के बट में रही तथा कुछ भुमि उन्य लोगो को दी गयी थी तथा शेष भूमि स्व. दलपतसिंह के पुत्रों के बंट में रखी गई। पुराने खसरा न. 143 के नये खसरा न. 247 व 249 रकबा 2–90 2.30 तथा अन्य खसरा नंबर भी बने तथा पुराने खसरा न. 141 व 143 पास नही है दोनो के बीच में काफी दुरी है। खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर भूमि पर वादीगण का आज तक कब्जा व कास्त तथा मालिकान हक होते हुये प्रतिवादीगण के कब्जे व काश्त की ग्राम बोया में स्थित भूमि पुराने खसरा न. 141 रकबा 33 बीघा से सैंटलमैन्ट द्वारा भुल से नये खसरा न. 247, 249 कायम कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया तथा भुल से गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति रावणा राजपुत दर्ज कर लिया, जबकि मौका स्थिति के अनुसार प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के पुराने खसरा नंबर 141 रकबा 33 बीघा के हाल खसरा नंबर 247 व 249 नहीं बने हैं। खसरा न. 249 रकबा 2–30 हैक्टर पर पिढीयों से पुश्तैनी रूप से कब्जा व काश्त है परन्तु भुल से गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज हो गया जबकि उक्त भुमि गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह के भाई बट की रही थी तथा आज भी उस पर कब्जा काश्त वादीगण का है तथा वादीगण का पुश्तैनी पुराना कब्जा व काश्त होने से तथा वादीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त होने से एडवर्ज पजेशन से भी मालिक हो गये है। वादीगण ने आगे वर्णित किया कि पुराने खसरा न. 143 के कुछ भाग पर वादीगण के पिता का गणपत सिह पुत्र दलपतसिह के विरूद्व 91 आर एल आर एक्ट. में भी कार्यवाही हुयी तथा वाद में भुल से उक्त भुमि का खातेदार गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह की जगह गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह नाम दर्ज हो गया जबकि उक्त भुमि पर आज तक कब्जा व काश्त खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर व 247 पर कभी भी कब्जा व काश्त प्रतिवादीगण का नही रहा है मात्र सैटलमैन्ट वालो की भुल से गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह दर्ज हुआ है जिससे वादीगण को उक्त भुमि का खातेदार घोषित करने हेतु यह वाद घोषणात्मक का पेश है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज वादग्रस्त भुमि की जमाबंदी न. 2064–2067 की प्रति, खसरा परिवर्तन शील संवत् 2032 की प्रति, खतौनी सवंत 2018 से 2021 की प्रति मिसल बंदोबस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रति, जमाबंदी संवत 2030 से 2033 की प्रति, नक्शा की प्रति। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी संवत् 2064–67 की प्रति, फोटोकॉपी पर्चा लगान खसरा न. 247 व 249 की प्रति, फोटोकापी मिसल बदोबस्त संवत् 2037–2056 की प्रति फोटोकापी खसरा बदोबस्त 2032–2033, फोटोकापी सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान कायम पत्रावली संख्या 1834/83 व 1244/84 की आर्डर शीट व तमाम कार्यवाही की प्रतिया, खसरा गिरदावरी संवत् 2014–2016, 2048–2051, 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067 फोटोकापी मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–2056 खसरा नंबर 247, 259 की, फोटोकापी जमाबंदी संवत 2068–2071 खसरा नंबर 247, 259 फोटोकापी जमाबंदी 2064–2067 खसरा नंबर 247, 249 एवं संवत 2072– 2075 की प्रति, फोटोकॉपी जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2072–2075, 2068–2071, फोटोकॉपी नक्शा ट्रैस खसरा न 247, 249 , फोटोकापी खसरा निर्धारण भू प्रबन्ध विभाग संवत 2015–2016, भु प्रबन्ध द्वारा खसरा न. 249, 247 के जारी पर्चा लगान की फोटोकॉपी, भु प्रबन्ध विभाग के पत्रावली में दिनांक 26.08.84 व 31.10.83 को पारित निर्णय की प्रतिया, प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम बोया के खसरा न 143 व 148 के नामांतरण सं. 133, जमाबंदी संवत 2026 से 2029 की प्रति पेश की गई। वादी पक्ष द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह pw-01 मदनसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी बोया गवाह pw-02 श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत आयु 71 वर्ष, गवाह pw-03 हनुमानसिंह पुत्र

पेज लगातार.....03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी वाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2014/00068
जनवान गणपतसिंह के कामु गोपालसिंह बनाम किशनसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

गणपत सिंह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाबदावा में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह DW-01 श्री बाबुसिंह पुत्र गणपत सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 66 वर्ष, गवाह DW –02 श्री करण सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 70 वर्ष, के बयान कलमबद्ध कराये गये। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया के हाल खसरा नंबर 249 गत खसरा नंबर 143 के भू–भाग से बनने तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटिवश गत खसरा नंबर 141 से बनना वर्णित करते हुये प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर से दर्ज करने से पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित कराये जाने की दलील दी। इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि होने तथा इस बाबत भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान बाबूलाल वगैरा द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पत्रावली कायम कर बाबूलाल वगैरा की आपत्ति खारिज की थी। जिससे वादीगण पुनः इस न्यायालय से कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं होने से वाद खारिज किये जाने की दलील दी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

1. आया सरहद मौजा बोया तहसील बाली के गत खसरा न. 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि संवत 2009 के पूर्व वादीगण के दादा बोया ठाकुर श्री दलपतसिंह के कब्जे काश्त की भूमि थी। दलपतसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादीगण के पिता तथा अन्य भाइयों के बंट में रही..... ? वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया के हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर की घोषणा खातेदारी की मांग इस आधार पर की गई है कि उक्त भूमि गत् खसरा न. 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा के भू भाग से बनी है। तथा पुराने खसरा न. 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा संवत 2009 से पूर्व से वादीगण के दादा ग्राम बोया के ठाकूर दलपतसिह जी के कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादीगण के पिता व अन्य भाईयों के बंट में उक्त भूमि रही जिससे वादीगण बतौर फुट स्टेप्स अपने दादा से प्राप्त भूमि ग्राम बोया के हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर पर काबिज काश्त होने से घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी है। वादीपक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य खसरा परिवर्तनशील संवत 2033 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत् खसरा न 143/1 व गत खसरा न. 148/2 रकबा क्रमशः 10 बीघा, 12 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के पूर्वज गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह साकिन बाली के नाम की काश्त एवं खसरा न. 143/2 व खसरा न0 143, 148 रकबा क्रमशः 22 बीघा 4 बिस्वा, 2 बीघा, 3 बीघा वादीगण के पिता गणपतसिह पुत्र दलपतसिंह के नाम की काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 143/1 व गत् खसरा नंबर 148/2 रकबा क्रमशः 10 बीघा, 12 बीघा 04 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि रही है। अर्थात् गत् खसरा नंबर 143 व 148 पर वादीगण के पुर्वजो के साथ–साथ प्रतिवादीगण के पुर्वजो का भी कब्जा काश्त रहा है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श Ex.3 से भी होती है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बोया के खसरा न 143 व 148 के नामांतरण सं. 133 की प्रति के अनुसार वादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह द्वारा अपनी धारित भूमि ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 143 व 148 रकबा क्रमशः 50 बीघा, 50 बीघा का बेचान हीरका, वना, सोना पिसरान्लुम्बा कौम सिरवी को बेचान किया जा चुका है, तथा बेचान के बाद खरिदकर्ता जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में खातेदार दर्ज हो चुके है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से वादीगण स्वयं द्वारा उल्लेखित कथन विरोधाभाषी होने की पुष्टि होती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....04

इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से मौजा बोया तहसील बाली के गत खसरा न. 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्ता कृषि भूमि संवत् 2009 के पूर्व वादीगण के दादा बोया ठाकुर श्री दलपतसिंह के कब्जे काश्त की भूमि होना प्रमाणित नहीं होता हैं। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य वादीपक्ष के गवाह pw-01 मदनसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी बोया गवाह pw-02 श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत आयु 71 वर्ष , गवाह चू.03 हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष भी अपने बयानों में वादी के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नही कर पाये है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया ग्राम बोया के पुराने खसरा न. 143 के नये खसरा न. 247 व 249 तथा अन्य और भी कई खसरा नंबर बने है.....? वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण था। गत् खसरा नंबरान् से हाल खसरा नंबरान् कौन– कौन से बने है, इसके लिये विधि मान्य अधिकृत दस्तावेज मिलान क्षैत्रफल होता है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यो के समर्थन में मिलान क्षैत्रफल पेश नहीं किया है, जिससे वादपत्र में उल्लेखित इन तथ्यो को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कि ग्राम बोया के पुराने खसरा न. 143 के नये खसरा न. 247 व 249 तथा अन्य और भी कई खसरा नंबर बने है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य वादीपक्ष के गवाह pw-01 मदनसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी बोया गवाह pw-02 श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत आयु 71 वर्ष , गवाह pw.03 हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष भी अपने बयानों में वादी के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नही कर पाये है जिससे तनकी संख्या–दो– भी वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3. आया ग्राम बोया के पुराने खसरा न. 141 व 143 पास–पास नहीं होकर दोनों के बीच काफी दूरी है। गत खसरा न. 143 से बने हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से चला आ रहा है.....?वादीगण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण का था,। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में कोई प्रमाणित नक्शा पेश नहीं किया गया, परन्तु प्रस्तुत गत् नक्शा की फ़ोटोप्रति के अवलोकन से यह ज्ञात हैं कि ग्राम बोया के पुराने खसरा नंबर 141 व 143 के बीच काफी दूरी नहीं हैं। गत् खसरा नंबर 141, 142 व 143 आपस में सटे हुये है। जहां तक वादीगण की गत् खसरा नंबर 143 से बने हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजो के समय से चला आ रहा होने का प्रश्न है, इसके लिये वादीगण द्वारा कब्जे काश्त बाबत् कोई अधिकृत विधि मान्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा नोटिस के अनुसार बोया के हाल खसरा नंबर 247 रकबा 2.90 हैक्टर एवं हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह कौम रावणा राजपूत सा. बाली के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत पर्चा लगान संख्या–210 प्रदर्श EXNAW-2A से भी होती हैं। जिस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत प्रदर्श EXNAW-3A से भी होती हैं। भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा पत्रक में वर्णित इन्द्राज के अनुसार भी हाल खसरा नंबर 249 पर काश्त प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज होना ज्ञात है।

पेज लगातार.....05

Scanned with OKEN Scanner

संवत् 2015 तथा 2016 की खसरा गिरदावरी की प्रतियों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बोया के गत् खसरा नंबर 143 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनो के पुर्वजो के नाम काश्त दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2048 से 2051 प्रदर्श EXNAW-9A के अनुसार भी बोया के हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर पर प्रतिवादीगण की काश्त दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2052 से 2055, 2056 से 2059, संवत् 2060 से 2063, 2064 से 2067 एवं संवत् 2069 से 2072 की प्रतियो में भी प्रतिवादीगण के नाम काश्त लगातार दर्ज होना प्रमाणित है। वादीगण के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य वादीपक्ष के गवाह pw-01 मदनसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी बोया गवाह pw-02 श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत आयु 71 वर्ष, गवाह pw-03 हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष भी अपने बयानों में इसका खण्डन नहीं कर पाये है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा न. 141 रकबा 33 बीघा थी परंतु सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा न. 143 के नये खसरा न. 247 , 249 में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया तथा भूल से पूर्व रेकर्ड में वादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज कर दिया जिससे वादीगण पुराने पुश्तैनी कब्जे काश्त के आधार पर गत् खसरा न. 143 के भू भाग से बने हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर की खातेदारी घोषणा के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है?..... वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण था। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह जरूर वर्णित किया हैं कि भू0 प्रबन्ध विभाग ने त्रुटिपुर्ण कार्यवाही करते हुये वादीगण के पुर्वजो के काश्त व कब्जे की भूमि ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 143 के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की है, परन्तु इसकी पुष्टि में वादीगण द्वारा न तो गत् व हाल खसरा नंबर के मिलान के लिये अधिकृत विधिमान्य दस्तावेज मिलान क्षैत्रफल पेश किया है एवं न ही गत् एवं हाल नक्शे से वादीगण के कथनो की पुष्टि होती है। जहां तक खसरा नंबर 247 रकबा 2.90 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का प्रश्न है, इस बिन्दु का विनिश्चन सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही वर्ष 1984 में पत्रावली कायम करके किया है, जिस बाबत् इस न्यायालय को पुनः कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नही है। प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य हैं कि सैटलमेंट से पुर्व के अधिकार अभिलेखो में प्रतिवादीगण के पुर्वज गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह कौम रावणा राजपुत नि0 बाली के नाम ग्राम के खसरा नंबर 141 में 33 बीघा की खातेदारी दर्ज रही है, तथा सैटलमेंट के दौरान् तैयार किये गये खसरा पत्रक एवं जारी पर्चा लगान भी प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह के नाम खसरा नंबर 247 रकबा 2.90 व खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर कुल रकबा 5.20 हैक्टर का जारी किया गया, जो भूमि गत् रकबा 33 बीघा के समतूल्य भूमि ही है। तथा भू0प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् आदिनांक तक वादग्रस्त भूमि बोया के हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर के खातेदार प्रतिवादीगण है, तथा काश्त भी इन्ही का है। जिससे भू0प्रबन्ध कार्यवाही समाप्ति के इतनी लम्बी अवधि के बाद मात्र कपोल कल्पित कथनो के आधार पर वादीगण के अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वादीगण के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह pw-01 मदनसिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी बोया गवाह pw-02 श्री महावीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत आयु 71 वर्ष, गवाह pw-03 हनुमानसिंह पुत्र गणपत सिह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष भी अपने बयानों में इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाये है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....06

Scanned with OKEN Scanner

जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. आया ग्राम बोया स्थित भूमि गत खसरा नं. 143 रकबा 225 बीघा, 16 बिस्वा स्वर्गीय ठाकुर दलपतसिह के जागीरी की थी। जिस भूमि से बने हाल खसरा न. 247, 249 रकबा क्रमशः 2.90 हैक्टर व 2.30 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के पिता स्व. गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति–रावणा राजपूत निवासी बाली को दी गई। जिस पर संवत् 2014 से स्वर्गीय गणपतसिंह जी के जीवनकाल से उनके कब्जे काश्त में रही व उनके देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में आज तक बदस्तूर है?.....
प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में संवत् 2009 से ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 225 बीघा 16 बिस्वा स्व0 ठाकुर दलपतसिंह के जागीर की होना वर्णित किया है, परन्तु इसकी पुष्टि में अभिलेखीय साक्ष्य संवत् 2009 का पेश नहीं किया गया है। जहां तक वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 143 से बने हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर पर काश्त का प्रश्न है, प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियो के अनुसार संवत् 2014 से प्रतिवादीगण का इस भूमि काश्त व कब्जा साबित है, जिस बिन्दु का विनिश्चन तनकी संख्या 01 से 04 में किया जा चुका है, एवं तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। प्रतिवादी पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह Dw-1 श्री बाबुसिंह पुत्र गणपत सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 66 वर्ष, गवाह Dw-2 श्री करण सिह पुत्र गणपत सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 70 वर्ष, के बयानो से प्रतिवादी के जवाबदावा में वर्णित तथ्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से बखूबी होती है। वादी पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य भी इस तथ्य का खण्डन नहीं कर पाये है, जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

6. आया वादीगण ने मनगढंत कहानी रचित कर प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह भूल से लिखे जाने के गलत कथन किये है। जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य है?..... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत खसरा गिरदावरिया एवं सैटलमेंट के दौरान् हुई कार्यवाहियो की पत्रावलियो की नकलो एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह Dw-1 श्री बाबुसिंह पुत्र गणपत सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 66 वर्ष, गवाह Dw-2 श्री करण सिह पुत्र गणपत सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 70 वर्ष, के बयानो से प्रतिवादी के जवाबदावा में वर्णित तथ्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से बखूबी होती है। जिससे प्रतिवादी पक्ष की यह दलील मानने योग्य है कि वादीगण ने मनगढंत कहानी रचित कर प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हडपने की नियत से गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह भूल से लिखे जाने के गलत कथन किये है। जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य है। उक्त विवेचन से तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....07

Scanned with OKEN Scanner

7. आया वादीगण के स्वर्गीय पिता गणपतसिह द्वारा सन् 1983–84 में सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि खसरा न. 247 , 249 के बारे में शपथ पत्र पेश कर अपना इस भूमि में कोई अधिकार नही होना लिखकर दिया है। उक्त शपथपत्र पर बाबुलाल द्वारा इस भूमि बाबत की गई कार्यवाही की पत्रावली में पेश किया गया। बाबुलाल की पत्रावली भू–प्रबंध विभाग द्वारा खारीज कर दी। जिससे वादीगण पुनः इस भूमि के बारे में खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी नही बनते है?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा कायम पत्रावली संख्या 1834/83 की कार्यवाही एवं पारित निर्णय की प्रति के अनुसार एवं वादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत निवासी बोया द्वारा दिनांक 26.8.1983 को दिये बयानो के अनुसार ग्राम बोया के हाल खसरा नंबर 247 का कब्जा संवत् 2006 में बाबुलाल को सौप दिया था, इस भूमि पर इनका कोई हक नहीं है, तथा बाबूलाल के नाम का पट्टा जारी किया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तमाम कार्यवाही एवं हितबद्ध पक्षकारो को सुनने के पश्चात् ग्राम बोया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 247 के सबंध में बाबूलाल की आपत्ति को खारिज करते हुये प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम पट्टा जारी किया गया। जिससे पुनः वादीगण को इस बाबत् उजर करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। वादीगण के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य भी इस तथ्य का खण्डन नहीं कर पाये है। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह Dw-1 श्री बाबुसिंह पुत्र गणपत सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 66 वर्ष, गवाह Dw-2 श्री करण सिह पुत्र गणपत सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 70 वर्ष, के बयानो से इसकी बखूबी पुष्टि होती है। जिससे तनकी संख्या 07 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के संबध में गलत वाद पेश कर प्रतिवादीगण को मानसिक व आर्थिक क्षति पहुॅचाई है। जिसके लिए प्रतिवादीगण वादीगण से राशि 10000/–रूपये हर्जाना भी वसूल करने के अधिकार बनते है?.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 01 से 07 में किये विवेचन के अनुसार वादीगण ने कपोल कल्पित कथनो के आधार पर प्रतिवादीगण के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हडपने के लिये ही उक्त वाद पेश किया है। जिससे तनकी संख्या 01 से 07 वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। इस प्रकार वादीगण द्वारा विधिक प्रावधानो का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण वादीगण से खर्चे/हर्जाने के रूपये 10, 000/– भी विधि अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी बनते है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित करते हुये वादीगण को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को अनावश्यक परेशान करने के लिये वादीगण प्रतिवादीगण को हर्जाने के बतौर राशि 10,000/–रूपये अदा करना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

9. आया गत् खसरा न. 143 की भूमि में स्व. गणपत सिह द्वारा अपने जीवनकाल में उनके खातेदारी हक की भूमि को पत्नि रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 04.03.25 में 50 बीघा का बेचान कर देने से उनके हिस्सेदारी इस खसरा में कोई भूमि शेष नही रही.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत

पेज लगातार.....08

Scanned with OKEN Scanner

जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 133 की प्रति के अनुसार ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 143 व 148 की भूमि जरिये पंजिबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 4.3.1987 से खातेदार गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत निवासी बोया द्वारा खरिदकर्ता हीरका, वना, सोनिया पि0 लुम्बा निवासी बोया को बेचान की गई, तथा बेचान होने से उक्त नामान्तरकरण खरिदकर्तागणो के नाम स्वीकृत हुआ, तथा जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में खरिदकर्ता हीरका, वना, सोनिया पि0 लुम्बा निवासी बोया खातेदार दर्ज हुये। इस प्रकार गत् खसरा नंबर 143 की भूमि वादीगण के पिता द्वारा अन्य खरिदकर्ताओ को किया जाने के बाद वादीगण पुनः गत् खसरा नंबर 143 से बने हाल खसरा नंबर की खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं रहते है। जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

10. अन्य सहायता

प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 09 उपरोक्तानुसार वादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण् किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है।

—::निर्णय::—

उपलब्ध रेकर्ड प्रदर्श ex7a जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत खसरा न. 349, 143,148 कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता के नाम एवं ग्राम बोया के गत खसरा न. 141 मी. रकबा 33 बीघा प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिहं पुत्र सूजानसिंह कौम दरोगा साकिन बाली के नाम दर्ज होना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोबस्त संवत् 2037 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के हाल खसरा न. 247 रकबा 2.90 हैक्टर एवं खसरा न 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह कौम रावणा राजपूत साकिन बाली के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2030 से 2033 की प्रति प्रदर्श—Ex-9a में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भुमि बोया के गत खसरा न. 141 व रकबा 33 बीघा प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिह पूत्र सूजानसिह कौम' दरोगा साकिन बाली के नाम खातेदारी दर्ज होना भी प्रमाणित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबंदी संवत 2064—67 की प्रति प्रदर्श Exnaw-2a में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बोया के हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण सं. 133 प्रदर्श ExnaW-19 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत खसरा न. 349, 143,148 रकबा क्रमशः 231 बीघा 9 बिस्वा, 50 बीघा, 50 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता गणपतसिह पुत्र दलपतसिंह के नाम दर्ज होना तथा नामान्तरणकरण पर लगे नोट के अनुसार पंजिबद्व विलेख दिनांक 04.03.87 से खसरा न. 143 व 148 का बेचान हीरका बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी को बेचान करने से खरीदकर्ता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होना प्रमाणित है। जमाबंदी संवत 2026—2029 प्रदर्श ExnaW-20 में दर्ज इन्द्राज से खरीदकर्ता हीरका, बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी के नाम खरीदशुदा भुमि बोया के गत् खसरा न 143 व 148 रकबा 100 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार तमाम दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित है कि वादीगण ने जिस भूमि की घोषणा खातेदारी चाही है वह भूमि ग्राम बोया के गत खसरा न. 143 प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खातेदारी दर्ज रही है तथा सेटलमेंट के पश्चात अभिलेखो में गत खसरा न 143 बने हाल खसरा न 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज है। वादी अपने वादपत्र में जरूर वर्णित करते है कि बोया के पुराने खसरा न 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा पर संवत 2009 से पूर्व से वादीगण के दादा के काश्त की रही है परन्तु इस बाबत कोई अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यो से यह प्रमाणित है

पेज लगातार.....09

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2014 / 00068
अनवान गणपतसिंह के कामु गोपालसिंह बनाम किशनसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कि वादीगण के पिता के नाम बोया के गत खसरा न. 349, 143, 148 कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी रही है, जिस भुमि में से खसरा न 143, 148 रकबा क्रमश 50 बीघा, 50 बीघा हीरका, बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी को बेचान करने के पश्चात वादीगण के पिता के पास खसरा न. 349 रकबा 231 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदारी की रही। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय की खातेदारी हको की भूमि खसरा न. 143 से बने हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर भूमि को हडपने की नियत से उक्त वाद पेश किया जाना प्रमाणित होने से तनकी संख्या 01 से 09 वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने वादीगण द्वारा ग्राम बोया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 14/11/025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1–गणपतसिंह पुत्र दलपत सिंह के कायम मुकाम
1 – गोपालसहि पुत्र गणपतसिंहजी उम्र बालिग
2 – मदनसिह पुत्र गणपतसिंह उम्र बालिग
3– उत्तमसिंह पुत्र गणपतसिंह आयु बालिग
4– भरतसिंह पुत्र गणपतसिंह जी आयु बालिग जातिगण राजपुत निवासीगण बोया तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–किशनसिंह पुत्र गणपतसिंह के कायम मुकाम
1/1–जसवतसंह पुत्र किशनसिंह आयु बालिग
1/2 – भवानीसिह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/3 – परबतसिंह पुत्र किशनसिंह आयु बालिग
1/4– खुमानसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/5 – श्रवणसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/6 – विक्रमसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह आयु बालिग
1/7 – विनोदकुवर पुत्री किशनसिंह आयु बालिग
1/8– रामुकुवर पत्नि स्व. किशनसिंह आयु बालिग
2– स्व0 भीमसिंह उर्फ भोमसिंह के कायम मुकाम
2/1– ईश्वरसिंह पुत्र भीमसिंह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/2– विरेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/3– पुष्करकुवर पुत्री भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
2/4– अन्तरकुवर पत्नि स्व. भीमसिह उर्फ भोमसिंह के आयु बालिग
3– मोहनसिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
4– करणसिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
5– बाबुसिह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग
6– गोविन्द सिंह पुत्र गणपतसिंह के आयु बालिग जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बाली जिला पाली
7– तहसीलदार भुमिधारी बाली।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2014/00068
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड प्रदर्श ex7a जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत खसरा न. 349, 143,148 कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता के नाम एवं ग्राम बोया के गत खसरा न. 141 मी. रकबा 33 बीघा प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिहं पुत्र सूजानसिंह कौम दरोगा साकिन बाली के नाम दर्ज होना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोबस्त संवत् 2037 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के हाल खसरा न. 247 रकबा 2.90 हैक्टर एवं खसरा न 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिंह पुत्र सुजानसिंह कौम रावणा राजपूत साकिन बाली के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2030 से 2033 की प्रति प्रदर्श–Ex-9a में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भुमि बोया के गत खसरा न. 141 व रकबा 33 बीघा प्रतिवादीगण के पिता गणपतसिह पूत्र सुजानसिह कौम दरोगा साकिन बाली के नाम खातेदारी दर्ज होना भी प्रमाणित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबंदी संवत 2064–67 की प्रति प्रदर्श Exnaw-2a में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बोया के हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2014/00068
अनवान गणपतसिंह के कामु गोपालसिंह बनाम किशनसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

भी प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण सं. 133 प्रदर्श Exnaw-19 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बोया के गत खसरा न. 349, 143,148 रकबा क्रमशः 231 बीघा 9 बिस्वा, 50 बीघा, 50 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता गणपतसिह पुत्र दलपतसिंह के नाम दर्ज होना तथा नामान्तरणकरण पर लगे नोट के अनुसार पंजिबद्व विलेख दिनांक 04.03.87 से खसरा न. 143 व 148 का बेचान हीरका बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी को बेचान करने से खरीदकर्ता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होना प्रमाणित है। जमाबंदी संवत 2026–2029 प्रदर्श Exnaw-20 में दर्ज इन्द्राज से खरीदकर्ता हीरका, बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी के नाम खरीदशुदा भुमि बोया के गत् खसरा न 143 व 148 रकबा 100 बीघा भूमि ख़ातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार तमाम दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित है कि वादीगण ने जिस भूमि की घोषणा खातेदारी चाही है वह भूमि ग्राम बोया के गत खसरा न. 143 प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम की खातेदारी दर्ज रही है तथा सेटलमेंट के पश्चात अभिलेखो में गत खसरा न 143 से बने हाल खसरा न 249 रकबा 2.30 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज है। वादी अपने वादपत्र में जरूर वर्णित करते है कि बोया के पुराने खसरा न 143 रकबा 225 बीघा 16 बिस्वा पर संवत 2009 से पूर्व से वादीगण के दादा के काश्त की रही है परन्तु इस बाबत कोई अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यो से यह प्रमाणित कि वादीगण के पिता के नाम बोया के गत खसरा न. 349, 143, 148 कुल खसरा 3 कुल रकबा 331 बीधा 9 बिस्वा की खातेदारी रही है, जिस भुमि में से खसरा न 143, 148 रकबा क्रमश 50 बीघा, 50 बीघा हीरका, बना, सोनिया पिता लुंबा कौम सिरवी को बेचान करने के पश्चात वादीगण के पिता के पास खसरा न. 349 रकबा 231 बीधा 9 बिस्वा भूमि खातेदारी की रही। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय की खातेदारी हको की भूमि खसरा न. 143 से बने हाल खसरा न. 249 रकबा 2.30 हैक्टर भूमि को हडपने की नियत से उक्त वाद पेश किया जाना प्रमाणित होने से तनकी संख्या 01 से 09 वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने वादीगण द्वारा ग्राम बोया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 249 रकबा 2.30 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/11/025 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

(विनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner